



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28112020-223406  
CG-DL-E-28112020-223406

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3764]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 27, 2020/अग्रहायण 6, 1942

No. 3764]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 27, 2020/AGRAHAYANA 6, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2020

का.आ. 4269(अ).—मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना का.आ. 2632(अ.), दिनांक 28 जुलाई, 2016, के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, अथवा साठ दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

### प्रारूप अधिसूचना

चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य 85.067 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और केरल राज्य में त्रिस्सूर जिला के चालाक्कुडी तालुक (पहले मुकुन्दापुरम तालुक) में स्थित है;

और, चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य के चिमोनी जलाशय से युक्त वन त्रिस्सूर जिले में हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई जल प्रबंध कराने के कारण सबसे बड़ा संरक्षण मूल्य प्राप्त करते हैं और इसलिए ये उत्तरजीविता के लिए अभयारण्य की सुरक्षा और विकसित करने का प्रमुख कारण हैं। अभयारण्य का क्षेत्र मुख्यतः निलीयामती की पश्चिमी ढलानों पर चिमोनी घाटी के वनों से मिलकर बना है; अनामलाई-अनामुडी संरक्षण इकाई जिसका क्षेत्रफल 4705 वर्ग किलोमीटर है की पारिस्थितिकी अविच्छिन्नता सुनिश्चित करता है;

और, चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य की मुख्य वनस्पति *एंद्रोग्राफिस मैक्रोबोट्रोज़*, *हाइग्रोफिला स्चुल्ली*, *फेलोप्सिस इम्ब्रिकाटा*, *अल्टरनेथेरा सेस्तीलिस*, *अगानोस्मा सिमोसा*, *राइटिया टिनकटोरिया* श्रेफफोरा *वेनुलोसा हरमस*, *हेमिदेस्मुस इंडिकस*, *कोनयजा बोनियरेनिसिस*, *स्पिलैन्थेस रेडिकैस*, *इम्पीटेंस पुलचेरिमा*, *इहरेटिय इंडिका*, *पॉलीकार्पिया कोरियम्बोसा*, *मेसुआ फेरिया*, *कोम्मेलिना मैकुलता*, *एरीसिएब पानिकुलाटा*, *कालांचोइ स्चेवेइनफुरथी पेनज़िग*, *कयपेरुस हस्पेन*, *पाइक्रेअस सुलकिनुस .बी. क्लार्के*, *ड्रोसेरा बर्मनी*, *अकलयफा ब्राचिस्टाच्या*, *ब्राइनिया वैटिस-आइडिया*, *फिशर*, *यूफोरबिया प्रोस्ट्रेटा*, *पराक्रोटोन इंटीग्रिफोलियस*, *एकोकार्पस फ्रैक्सिनिफोलियस*, *टैमरिंडस इंडिका*, *करोटालारिया रतुसा*, *एरीश्रिना स्ट्रेटा*, *पाइकोनोस्पोरा ल्यूटेसेंस*, *अकैकिया पेन्नाटा विल्लड*, *फलाकोरटिया इंडिका*, *रेइस्सांटिया ग्राहामी*, *हायपटिस सुवेआलेंस पोइट*, *लिटैसेया इंसिगनिस*, *लेइइया माक्रोफयल्ला*, *हेलिकांथेस इलास्टिका*, *सिदा अलनिफोलिया*, *मेमेकयलोन लावसोनि*, *किपादेस्सा बाक्किफेरा*, *तिलिअकोरा अकुमिनाटा*, *फिकस कल्लोसा*, *मैइसा इंडिका*, *चिओनांथुस माला-इलेंगी*, *डेंड्रोबियम हेयनेअनम*, *ओबेरोनिया थवाइटेसि*, *अदेनिया होंदाला*, *अरुंदिनेल्ला लेपटोचोआ*, *सियनोडोम डाकटयलोन*, *हेटेरोपोगोन कोनटोरटस*, *पानिकम नोटातम*, *सपोरोबुलुस पिलिफेरुस मोनोचोरिया वागिनलिस*, *कटुनारेगम स्पिनोसा तिरवेंगादुम*, *कनोक्सिया सुमारेसेंसिस*, *ओफिओरिंजा रूगोसा*, *स्परमाकोके लतिफोलिया*, *गलयकोसमिस माक्रोकारपा*, *डिमोकारपुस लोन्नान*, *क्रटोलिस टोमेन्टोसा*, *टोरेनिया बिकोलोर*, *पटेरोस्परमुम रेटिकुलातुम*, *ग्रेविया तिल्फोलिया*, *पेल्लीओनिया हेयनेअना*, *परेन्ना टोमेन्टोसा*, *किस्सुस रेपेन्स*, *हेदयचिउम फलावेस्केन्स*, आदि हैं;

और, राज्य में चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य अनामुडी हाथी रिज़र्व का भाग है, जिसका 0.7404 हाथी प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व के साथ कुल वन क्षेत्र 3728 वर्ग किलोमीटर है। 2010 हाथी गणना के अनुसार हाथियों की अनुमानित संख्या 2086 (1781 से 2443 तक श्रेणी) है। अभयारण्य का 50% से अधिक क्षेत्र उच्च संरक्षण मूल्य जोनों के अंतर्गत है और बाकी विशिष्ट प्रजाति विविधता और स्थानिक बहुयायत के साथ मध्य संरक्षण मूल्य जोनों के अंतर्गत है। क्षेत्र में विशेष औषधीय पौधों की विविधता है अभयारण्य में स्तनधारियों की 53 प्रजातियों, पक्षियों की 182 प्रजातियों, सरीसृपों की 46 प्रजातियों, उभयचरों की 38 प्रजातियों, मछलियों की 31 प्रजातियों और अकशेरुकी प्रजातियों जैसे तितलियां (24 प्रजातियां), ओडोनॉटस् (56 प्रजातियां) आदि का वास है;

और, चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य में महत्त्वपूर्ण स्तनधारी *नीलगिरि लंगूर (ट्रैचीपिटैकस जॉनी)*, *लायन-टेल्ड मकाक (मकाका सिलेंस)*, *जंगल पाम गिलहरी (फनाम्बुलुस ट्रिस्ट्रियेटस)*, *ब्लैफोर्ड मेडराम्स (वाइट टेल्ड वूडरात)* (*मैड्रोमयस ब्लैनफोर्डी*), *फ्लैट-हैरेड माउस (मूस पलटीट्रिक्स)*, *सहयाद्रीस वन रैट (रट्टस सतरेइ)*, *स्पाइनी ट्री माउस (प्लाटाकंथोमयस लसीसुरस)*, *ब्लैक-नेण्ड खरगोश (लेपस निगरीकोलिस)*, *लेस्सेर डॉग फेस्ड फ्रूट बेट (कीनोप्टेरुस ब्राचोटिस)*, *भारतीय फ्लाइंग लोमड़ी (पटेरोपुस गिगेंटस)*, *ग्रेटर फाल्स वेम्पाचर (मेगाडेरमा लयरा)*, *डस्की लीफ-नोज्ड बेट (हिप्पोसिडेरोस अटेर)*, *सचनिदेर लेअफ़-नोज़ड बेट (हिप्पोसिडेरोस स्पेओरिस)*, *रुफूस होर्सशू बेट (रहिनोलोफोस रॉक्सी)*, *चाँकलेट पीपीस्ट्रेललए (पिपिस्ट्रेलुस अफ्फिनिस)*, *भारतीय पीपीस्ट्रेललए (पिपिस्ट्रेलुसव कोरोमंड्रा)*,

एशियाटिक ग्रेटर येलो हाउस बेट (स्कोटोफिलुस हैती), भारतीय साल (मानिस क्रैसिकाउडाटा), जंगली कुत्ता/धोले (कुओन अल्पीनस), तेंदुआ (पैंथेरा पार्डस), ग्रे नेवला(हर्पेस्टेस एडवर्डस), रीछ (मेलर्सस अरसिनस), छोटा भारतीय सिवेट(विवरिकुला इंडिका), माउस हिरण (ट्रैगुलस (मोशियोला) मेमिना), चित्तीदार हिरण (एक्सिस एक्सिस), मुंजक (मुनटीक्स मुनतजक), आदि है;

और, अभयारण्य के मुख्य पक्षियों में ग्रेट कोमॉरेंट (फेलाक्रोकॉरैक्स कार्बो), केरल इग्रेट (बुबुलकस इबिस), ब्लैक विटर्न (दुपेटोर फ्लाविकलीस), ब्राह्मणी काइट (हैलीस्टूर इंडस), क्रेस्टेड गोशावक (अकिपिटर त्रिविरगटुस), बोनेल्लीस ईगल (हिडरॉइटस फैस्कीटोस), रेड स्परफाऊल (गल्लोपेरडिक्स स्पाडिकेया), रेड-वाट्लेड लैपविंग (वनेल्लुस इंडिकस), ओरिएण्टल कछुआ-कबूतर (स्ट्रेप्टोपेलिए ओरिएण्टलिस), येलो-लेगड ग्रीन-कबूतर (ट्रेरोन फोइनिकोपेटेरा), रोज-रिंगेड पैराकीट (पसिट्टाकुला करामेरी), लॉर्ज हावक-कुक्कू (हिडरोकोक्यक्स स्पारवेरीओआदेस), भारतीय पलाइंटिवे कुक्कू (कक्रोमांटिस पास्सेरीनुस), ब्राउन हावक-ओवल (निनोक्स स्कुतुलाटा), ब्राउन-बैङ्कड नैडलेटैल-स्विफ्ट (हिरंडापस गिगेंटस), हाउस स्विफ्ट (अपुस एफिनिस), स्टॉर्क-बिल्ड किंगफिशर (हलक्योन कैपेंसिस), छोटा बी-इटर (मेरोप्स ओरिएण्टलिस), सामान्य हूपो (उपुपा इपोपस), क्रिमसन-थ्रोटेड वारबेट (मेगालिमा रूब्रिकापिला), यल्लो-फ्रॉटेड पाइड वुडपेकर (डेंड्रोकोपोस महाराट्टेंसि), डस्की काग-मार्टिन (हीरंडो कॉकॉलोर), अशी वूड साल्लोव(अरटामस फुस्कस), ग्रे वागतैल (मोटाकिल्ला किनेरिया), छोटा मिनिवेट (पेरीक्रोटस सिनामोमस), ग्रे-हेडेड बुलबुल (पाइकोनोटस प्रियोसेफालस), येल्लोव-ब्रोवेड बुलबुल (लोले इंडिका), गोल्ड-फ्रॉटेड क्लोरोप्सिस (क्लोरोप्सिस ऑरिफ्रॉन्स), मालाबार व्हिस्टलिंग-श्रश (मायियोफोनस होर्सफील्डी), वाइट-रुमपैड शमा (कोपसयचस मालाबारिकस), ब्लैक-हेडेड बब्बलर (रहोपोकिकिचला एट्रिसेप्स), ब्रेकर टिट- बब्बलर (अलकिप्पे पाइओइकेफला), ग्रेनिस लैफ-वार्बलर (फयल्लोस्कोपस टरोचिलोइडेस), रस्टी-टेलड फ्लाइकैचर (मुस्किकापा रूफिकाउडा), रेड-थ्रोटेड फ्लाईकैचर (फिकेदुला परवा), ग्रेट टिट (परूस मजोर), टिक्लेलस फ्लोवरपेकेर (डिकयुम एरीथ्रोनिन्वोस), पर्पल सनबर्ड (नेक्टेरिनिअ एसिएटिका), ग्रे-हेडेड स्टर्लिंग (स्टुरनुस मालाबारिकस), इउर एशियन गोल्डन ओरिओले (ओरीओलुस ओरीओलुस), अशी ड्रोंगो (डिकरूरुस ल्यूकोफाइडस), अशी वूडस्वाल्लोव (अरटामस फुस्कस), आदि है;

और, चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य के महत्त्वपूर्ण सरीसृपों में भारतीय ब्लैक कछुआ (मेलानोचेलय टरीजुगा (स्चवेइगरे, 1812), त्रावणकोर कछुआ (इंडोटेस्टूडो त्रावणकोरिका (बोलेनोर, 1907), सामान्य ग्रीन वन छिपकली (कलोटेस कलोटेस), भारतीय ग्राडेन छिपकली (कलोटेस वेरसिकोलोर (दउदीन, 1802), दक्षिण भारतीय राँक अगामा (पसाम्मोफिलुस डोरसालिस (ग्रेय, 1831), कोअस्टाल डे गेक्को (चेमास्पिस लिट्टोरालिस (जेरदोन, 1854), ब्रोकस हाउस गेक्को (हेमिदाकटयलुस ब्रोकि (ग्रे, 1845), टेरेमिटे हिल गेक्को (हेमिदाकटयलुस ट्रिइडरूस (दाउदीन, 1802), ब्रॉन्जे ग्रास स्किंक (इयट्रोपिस माकुलारिया (बलयथ, 1853), बेड्डोमे बिल्ली स्किंक (रिस्टेल्ला बेड्डोमि (बुउलेंगेर, 1887), बेअकड वोर्म सांप (ग्रीपोटीफलोस अकुतुस (डुमेरिल एवं बिबरोन, 1844), केरला शीलदताल (उरोपेलटिस कैलानिका (कुवेर, 1829), भारतीय राक पायथन (पायथन मूलयरूस (लिननाइउस, 1758), सामान्य सैंड बोआ (एरिक्स कनिकस (सचनिदेर, 1801), भारतीय रैट सांप (पतयास मुकोसा(लिननाइउस, 1758), सामान्य कुकरी सांप (ओलीगोडोन अरनेंसिस (शाँ, 1802), त्रावणकोर भेडिया सांप (लयकोडों त्रावणकोरिक्स (बेड्डोमे, 1870), दुमेरीलस ब्लैक-हेडेड सांप (सिबयनोफिस सुवपुन्कटातुस (बिबरोन एवं दुमेरील, 1854), कोल्लार्ड बिल्ली सांप (बोइगा नुचालिस (गुंथेर, 1875), चेक्केरेड कैलबाक (फोवलेया पिस्काटर (स्चनेइदेर, 1799), सामान्य भारतीय करैत (बुंगारूस कइरूलेउस(स्चनेइदेर, 1801), किंग कोबरा (ओफिओफागुस हात्नाह (कंटोर, 1836), रूसेल विपेर (डाबोइया रूसेली (शाँ एवं नोदेर, 1797), मालाबार पिट वाइपर(ट्रिमेरेसुरुस मालाबारिक्स), आदि है;

और, चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य में उभयचर, मछलियां और तितलियां रिडगेड टोड (*डुट्टाफ्रीनस पेरिएटैलिस*), भारतीय पोंड मेढक (*इयफल्यक्टिस हेक्साडेक्टीलुस*), भारतीय बुलफ्रांग (*होप्लोवात्राचुस टिगेरिनस*), रफेसेन्ट बुरोइंग फ्रांग (*मिनेवार्थ रफेसेंस*), नेल्लीयमपथी टोरेट फ्रांग (*मिक्रीक्सालुस नेल्लीयमपथी*), ओरनाटै नैरो-मोथेड फ्रांग (*मिक्रोहीला औरनता*), अनामलाई डॉट फ्रांग (*उपरोदों अनमालिएन्सिस*), पर्पल फ्रांग (*नासिकबैराचुस सह्याडरेसिस*), अनामलाई नाईट फ्रांग (*नीकटीबतराचुस अनामल्लाईएन्सिस*), बिकलोरेड फ्रांग (*क्लिनोतारसुस सुर्तीपिस*), दोनस गोल्डन-बैकेड फ्रांग (*इंडोसीलवीरना दोनी*), अनामललाइस लेपिंग फ्रांग (*इंदिराना ब्राचीतरसुस*), यादेरास लैपिंग फ्रांग (*इंदिराना यादेरा*), चरपा ट्री फ्रांग (*पॉलीपैडेत्स ओक्सीडेंटलिस*), वेरिबल बुश फ्रांग (*रोर्चेस्टस अक्रोपारलगी*), जयाराम बुश फ्रांग (*रोर्चेस्टस जयारामी*), वाटर ड्राप फ्रांग (*रोर्चेस्टस नेरोस्टागोना*), लार्ज पोनमुडी बुस फ्रांग (*रोर्चेस्टस पोनमुडी*), मेनोनस कैसिलियन (*उरायोटीफ्लोस मनोनी*), पावापराल/नदी कार्पबारील (*बरिलियस्जेटेंसिस* (वाल), कालपूलों/पश्चिमी घाट लोच (*भावनिया ऑस्ट्रलिस* (जरदोन), त्रिअंगुलार बेंडेड लोच (*नेमाचैलुस त्रिअंगुलारिस डे*), मलबारलोच (*लेपिडोसेफालुस थेर्मलिस*), (वाल), वयानाद मितुस (*मयस्तस्मोंटानुस जरदोन*), मनातुकांनी / मालाबारकिल्लीए (*आपलोचेइलुस लिनतुस* (वाल), ऑरेंज क्रोमिड (*एट्रोपलुस मकलटेस* (बलोच), एशियाटिक स्केहेअड (*चन्ना ओरिएंटलिस*), भारतीय बटर कैटफिश (*ओमपोक बिमाकुलाटस बलोच*), स्टिनिंग कैटफिश (*हेटेरोपनुस्टेस फॉस्सिलीतुस बलोच*), अंगलेड पिएर्रोत, सामान्य केरूलियन, स्लेट फ्लाश, सामान्य ब्लूबोटल, क्रिमसन रोज, ब्लू मॉरमॉन, मोट्टेलेड इमिग्रैंट, तावनी कोस्टर, तमिल येओमान, चेस्टनट स्ट्रेकेड सेलर, चॉकलेट पैन्सी, ब्लैक राजा, आदि पाई जाती हैं;

और, चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य से दुर्लभ, संकटापन्न और लुप्तप्राय (आर ई टी) वनस्पति फ्लेशी एपिथेमा (*एपिथेमा कानोसुम*), मालवीरिनजी (*एक्टिनोडाफेने मालाबारिका*), काराकिल (*अगलिया बारबेरी*), वेल्लाचेरलम (*अग्लाइया लावि*), मोथास्सारी (*वेपरीस बिलोओकुलारिस*), चोरामुल्लु (*स्मिलाक्स विघटी*), चेम्पारावाल्ली (*अम्पेलोकिस्सुस इंडिका*), पेरेलाम (*अमोमुम पटेरोकारपुम*), अकिल, अदांता (*क्रिप्टोकार्य अनामालायना*), पुरिप्पा, वेल्लाकिल (*डायसोक्यलुम बेडुोमेइ*), आदि अभिलिखित की गई है। जबकि अभयारण्य के दुर्लभ, संकटापन्न और लुप्तप्राय (आर ई टी) जीवजंतु हाथी (*एलिफस मैक्सिमस*), लायन – टैलेड मैकाक (*मैकाका सिलेनस*), जंगली कुत्ता (*कुओन अल्पाइंस*), बाघ (*पैंथेरा टिगरिस*), मैनिनजेल (*औगुइला बेंगालेंसिस*), कलपुलोन (*भवानिया ऑस्ट्रलिस*), भारतीय बटर कैटफिश (*ओमपोक बिमाकुलैटस*) आदि है;

और, चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल राज्य के त्रिस्सूर जिला के चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 7.0 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 7.0 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 92.53 वर्ग किलोमीटर है जिसमें 90.65 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र और 1.88 वर्ग किलोमीटर गैर-

वन क्षेत्र शामिल है। अभयारण्य का विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नीचे दिया गया है:-

दिशाएं	विस्तार
उत्तर	0 (शून्य)
उत्तर-पूर्व	4.6 किलोमीटर
पूर्व	1 किलोमीटर
दक्षिण-पूर्व	4 किलोमीटर
दक्षिण	3 किलोमीटर
दक्षिण-पश्चिम	4 किलोमीटर
पश्चिम	7 किलोमीटर
उत्तरपश्चिम	3.5 किलोमीटर

सरकार द्वारा शून्य विस्तार के लिए यह तर्क दिया गया है कि "मंगटूकोम्बन से पोतमुडी तक आरंभ उत्तरी सीमा में शून्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन पीची-वझनी वन्यजीव अभयारण्य के समीपवर्ती है। बिना किसी बाधा के इसका फैलाव बहुत अच्छा अर्ध सदाहरित पैच है; इसलिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन शून्य है। पुंडीमुडी से केवला तक आरंभ पूर्वी सीमा में शून्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन परम्बीकुलम बाघ रिजर्व के समीपवर्ती है। बिना किसी बाधा के इसका फैलाव बहुत अच्छा अर्ध-सदाहरित पैच है; इसलिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन शून्य है।"

(2) चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य और इसका पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **अनुलग्नक -I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **अनुलग्नक-IIक, अनुलग्नक -IIख और अनुलग्नक -IIग** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **अनुलग्नक -III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **अनुलग्नक -IV** के रूप में संलग्न है।

**2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना-**(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण;

- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और
- (xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा। और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

**3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना

अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और
- (v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली कार्यकलापों से पुनःवनीकरण के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी ताकि इन क्षेत्रों के आस-पास ऐसी विकास गतिविधियों पर रोक लगे जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं।

(3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.**- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

- (i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व- परिभाषित और अभिहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**— पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए विनियमों का पालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, पर्यावरणीय प्रदूषकों के निस्सारण के लिए सामान्य मानकों के उपबंधों या उनके अधीन बनाए गए नियमों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हों, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**— ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुमत किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**— जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-



(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

**4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों जिसमें तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

## सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
<b>क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी;  (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी:  जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016, में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुमति नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	प्रतिषिद्ध।
<b>ख. विनियमित क्रियाकलाप</b>		
9.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुमति नहीं होगी:  परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट

		हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुमति नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
11.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
14.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केवल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ उपशमन उपाय किए जाएंगे।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ उपशमन उपाय किए जाएंगे।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

19.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
20.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमति होंगे।
21.	फार्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य जलाए जाने की सुविधा की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
30.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
<b>ग.संवर्धित क्रियाकलाप</b>		
31.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

40.	अवक्रमित भूमि/वनो/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

**5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.-** केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3), के तहत इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	निगरानी समिति का गठन	पद
(i)	जिला कलेक्टर, त्रिस्सूर	पदेन, अध्यक्ष;
(ii)	विधान सभा के सदस्य, पुडुक्कड	सदस्य;
(iii)	जिला पंचायत अध्यक्ष, त्रिस्सूर	सदस्य;
(iv)	केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केरल राज्य बिजली बोर्ड या केरल जल प्राधिकरण या केरल राज्य सिंचाई विभाग या केरल राज्य पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	केरल सरकार द्वारा नामित प्राकृतिक संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	केरल सरकार द्वारा नामित केरल राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय के पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	वन्यजीव वार्डन, पीची	सदस्य -सचिव

**6. विचारार्थ विषय:-** (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

- (6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, उपाबंध V में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।
7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन होंगे।

[फा. सं. 25/96/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

अनुलग्नक-I

#### क. केरल राज्य में चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण

- उत्तर:** सीमा रेखा त्रिस्सूर और मुकुन्दापुरम अंतर तालुक सीमा के साथ मंगाट्टुकोम्बन के उत्तर-पूर्व लगभग 1.2 किलोमीटर में स्टेशन से आरंभ होती है और पूर्व की ओर उक्त सीमा के साथ जाती है और 3045 फीट के ऊंचाई बिंदु में पोनमुदी में, त्रिस्सूर और पालाक्कड की जिला सीमा के साथ मिलती है।
- पूर्व:** वहां से सीमा रेखा त्रिस्सूर और पालाक्कड की अंतर जिला सीमा के साथ जाती है और ऊंचाई 1930', 2839', 1702', 3045', 2685' और 2534' से होते हुए 3665' ऊंचाई बिंदु में पुमलाई में पहुंचती है और वहां से रेखा दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर जाती है और 1750' की ऊंचाई बिंदु से होते हुए कवलाई ढाल के पश्चिम लगभग ½ किलोमीटर में मुंदावालीचन के साथ मिलती है।
- दक्षिण:** वहां से सीमा रेखा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुदुवाराचल के उत्तर के साथ जाती है ऊपर चल के साथ मुप्लीपुझा मिलती है और वहां से मुप्लीपुझा के उत्तरी तट के साथ जाती है यह मुप्ली की ऊपरी धारा के लगभग 1 किलोमीटर में स्टेशन पहुंचती है जहां मुप्लीपुझा के साथ वलकट्टू थोडु से जुड़ती है।
- पश्चिम:** वहां से सीमा लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी के लिए दक्षिण पूर्व की ओर वलकट्टू थोडु के दक्षिणी तट के साथ जाती है और वहां से उत्तर पूर्व दिशा और 250' के ऊंचाई बिंदु पहुंचती है और इसके बाद सीमा लगभग 1 किलोमीटर के लिए उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाती है और वहां से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाती है यह ऊंचाई बिंदु 1070', 1250' और 1327' से होते हुए अनाईपदम से चिमोनीपुझा की ऊपरी धारा और परवल्यिक आकार में बनावट लगभग 2.50 किलोमीटर में चिमोनीपुझा पहुंचती है। वहां से सीमा लगभग 3 किलोमीटर के लिए पूर्व की ओर चिमोनीपुझा के दक्षिणी तट के साथ जाती है यह 135' ऊंचाई बिंदु में चिमोनी पहुंचती है और वहां से सीमा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाती है और क्षेत्र के उत्तरी सीमा के आरंभिक बिंदु पर पहुंचती है।

#### ख. केरल राज्य में चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

**उत्तर:** सीमा रेखा त्रिस्सूर तालुक सीमा मुकुन्दापुरम पर स्टेशन (उ10° 28' 9.9" और पू 076° 23' 56.11") से

आरंभ होती है; पीची-वझनी वन्यजीव अभयारण्य की सामान्य सीमा पूर्व की जाती है और पोनमुदी मिलती है, यहां पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई शून्य है; इसके बाद यह पालाकुझी रबर एस्टेट के उत्तर की ओर जाती है, इसके बाद पालाकुझी रबर एस्टेट के अंतिम बिंदु सीमा अंत में पूर्व की मुड़ती है, इसके बाद यह ओदें थोडु एस्टेट की सीमा-दक्षिणी सीमा के उत्तर की ओर जाती है, इसके बाद यह पूर्व की ओर ओदेंथोडु एस्टेट सीमा के साथ जाती है और यह 580 मीटर बिंदु दक्षिण अय्याप्पानमुदी के साथ जाती है।

**उत्तर-पूर्व:** यहां से सीमा रेखा अलाथूर श्रेणी पुझाक्कलीदन खंड की निहित वन सीमाएं उत्तर-पूर्व की ओर जाती है, इसके बाद वल्लाप्पारा से होते हुए पार करती है और निहित वन सीमा के साथ जाती है और यह कोम्बनचेरी थोडु पहुंचती है इसके बाद यह कुनचारवथी कॉफी एस्टेट जीपीएस बिंदु सं. 15 (उ10° 27' 55.489" और पू 076° 33' 35.920") पहुंचकर और 2.5 किलोमीटर की अधिकतम जोनल चौड़ाई के साथ दक्षिण-पूर्व जाती है।

**पूर्व:** यहां से यह पुल्लाक्कल थोडु में तालुक सीमा पहुंचकर कुनचारवथी कॉफी एस्टेट जी पीएस बिंदु से 14 (उ10° 27' 34.0" और पू 076° 33' 41.8") की बाहरी सीमा (पूर्वी सीमा) के साथ जाती है; यहां से तालुक सीमा (पुल्लाक्कलथोडु) से होते हुए पश्चिम की ओर जाती है और चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य और परम्बीकुलम बाघ रिज़र्व की सामान्य सीमा पहुंचती है।

**दक्षिण पूर्व:** इसके बाद पुन्दीमुदी के निकट बिंदु की ओर दक्षिण पश्चिम से मुड़ती है, यहां चौड़ाई शून्य है; इसके बाद यह कवाला, (उ10° 23' 2.20" पू 076° 32' 1.10")। पहुंचकर परम्बीकुलम रिज़र्व की बफर जोन सीमा के साथ जी.पी.एस. बिंदु 13(उ10° 24' 1.594" और पू 076° 31' 33.268") जाती है।

**दक्षिण:** यहां से यह मुप्लीपुझा सहायक नदी के बिंदु पहुंचकर ट्राम-वे से होते हुए पश्चिम की ओर कवाला(उ10° 23' 2.20" और पू 076° 32' 1.10") से आरंभ होती है और इसके बाद सागौन बागान की सीमा और पालापल्ली श्रेणी के रिज़र्व वन से होते हुए पश्चिम की ओर मुड़ती है और कुंदाई में बिंदु पहुंचती है।


**दक्षिणी -पश्चिम:** यहां से चक्कीप्पाराम्बू जी.पी.एस बिंदु सं.9 (उ10° 23' 48.283" और पू 076° 25' 33.869") के निकट पालापल्ली श्रेणी की रिज़र्व वन सीमा और सागौन पौधे के साथ जाती है, इसके बाद यह 4.8 किलोमीटर की अधिकतम चौड़ाई के साथ करीक्कुलम जी.पी.एस बिंदु सं 7(उ10° 25' 11.953" और पू 076° 23' 54.037")में चिमोनी पुझा के साथ मिलकर पालापल्ली श्रेणी के प्राकृतिक रिज़र्व वन और कुंदाई रबर एस्टेट की सीमा के साथ जाती है।

**पश्चिम:** यहां से सीमा चिमोनी पुझा से होते हुए जाती है और पुराना चिमोनी पालापल्ली श्रेणी कार्यालय, अनापादम पहुंचती है और पालापल्ली जंक्शन जी.पी.एस.बिंदु सं 6 (उ10° 26' 4.246" और पू 076° 23' 8.399") पहुंचकर सड़क से होते हुए जाती है, इसके बाद वलियाकुलमथोडु में पहुंचकर पालापल्ली चिमोनी बांध सड़क से होते हुए पूर्व उत्तर की ओर जाती है, इसके बाद वलियाकुलमथोडु से होते हुए उत्तर दिशा के साथ जाती है और यह प्रकृति रिज़र्व वन और पुथुक्कड रबर एस्टेट सीमा में बिंदु पहुंचती है, इसके बाद प्रकृति रिज़र्व की सीमा और रबर एस्टेट से होते हुए पश्चिमी दिशा के साथ जाती है नदमपदम एस्टेट बंगला जी.पी.एस.बिंदु सं. 4 (उ10° 27' 6.047" और पू 076° 22' 15.155")पहुंचती है।

उत्तर-पश्चिम: इसके बाद रिज़ बिंदु जी.पी.एस.बिंदु सं. 3(उ10° 27' 49.784" और पू 076° 22' 41.77") पहुंचकर पील्लाथोडु की सहायक नदी से होते हुए उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाती है, वहां से चालाकुडी और त्रिस्सूर तालुक सीमा से होते हुए जाती है और आरंभिक बिंदु पहुंचती है।

अनुलग्नक-IIक


केरल राज्य में मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य का अवस्थान मानचित्र






अनुलग्नक -IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



## अनुलग्नक-IIग

भारतीय सर्वेक्षण टोपोशीट में मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



## अनुलग्नक -III

सारणी क : चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदुओं की दिशा	अक्षांश (उ) डी एम एस फार्मेट	देशांतर (पू) डी एम एस फार्मेट
1	ईवाथी	पूर्व	उ10° 25' 56.786"	पू76° 33' 33.299"
2	पोनदिमुदी	दक्षिण पूर्व	उ10° 24' 15.358"	पू76° 31' 57.353"
3	पूमाला	दक्षिण पूर्व	उ10° 24' 26.323"	पू76° 29' 12.188"
4	इट्टाकोम्बान	दक्षिण	उ10° 25' 17.723"	पू76° 27' 2.661"

5	वालियाकुलम	दक्षिण पश्चिम	उ10° 25' 51.304"	पू76° 25' 4.784"
6	चिम्मोनी	पश्चिम	उ10° 26' 38.591"	पू76° 27' 48.578"
7	पूकोयील	उत्तर पश्चिम	उ10° 27' 27.935"	पू76° 26' 3.037"
8	ओदान्थोडु	उत्तर	उ10° 28' 39.209"	पू 76° 30' 5.644"
9	वेल्लीमुडी	उत्तर पूर्व	उ10° 27' 33.418"	पू 76° 31' 53.926"
10	मंगाट्टुकोम्बन	उत्तर पश्चिम	उ10° 28' 2.202"	पू 76° 25' 26.029"
11	वालियावारा	पश्चिम	उ10° 28' 24.132"	पू 76° 26' 14.688"
12	वालियापोमुडि	उत्तर पश्चिम	उ10° 28' 46.063"	पू 76° 27' 36.242"
13	चेरीयापोमुडी	उत्तर पश्चिम	उ10° 29' 3.881"	पू 76° 28' 49.572"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदुओं की दिशा	अक्षांश (उ) डी एम एस फार्मेट	देशांतर (पू) डी एम एस फार्मेट
1	मंगाट्टुकोम्पन	उत्तर	10° 28' 4.812" उ	76° 25' 12.282" पू
2	अनाक्कल्लु	उत्तर	10° 28' 16.406" उ	76° 24' 10.200" पू
3	वाल्लूर	उत्तर - पश्चिम	10° 27' 49.784" उ	76° 22' 41.777" पू
4	नादाम्पादम	उत्तर - पश्चिम	10° 27' 6.047" उ	76° 22' 15.155" पू
5	वालियाकुलम	उत्तर - पश्चिम	10° 27' 11.752" उ	76° 23' 56.889" पू
6	पालापिल्लय	उत्तर - पश्चिम	10° 26' 4.246" उ	76° 23' 8.399" पू
7	अनापादम	उत्तर - पश्चिम	10° 25' 11.953" उ	76° 23' 54.037" पू
8	कुंदायी	पश्चिम	10° 24' 25.364" उ	76° 25' 49.082" पू
9	चाक्कीपाराबु	पश्चिम	10° 23' 48.283" उ	76° 25' 33.869" पू
10	करीकादवउ	दक्षिण - पश्चिम	10° 22' 43.630" उ	76° 26' 45.179" पू
11	मुप्लीपुझा	दक्षिण - पश्चिम	10° 22' 35.073" उ	76° 28' 58.289" पू
12	कवाला	दक्षिण	10° 23' 0.744" उ	76° 32' 0.841" पू
13	पोनदिमुदी	दक्षिण	10° 24' 1.594" उ	76° 31' 33.268" पू
14	पुल्लाक्कलथोडु	दक्षिण -पूर्व	10° 26' 9.951" उ	76° 35' 4.343" पू
15	कुंचीअरवाथे	दक्षिण -पूर्व	10° 27' 55.489" उ	76° 33' 35.920" पू
16	थैकाथांमाला	दक्षिण -पूर्व	10° 27' 9.851" उ	76° 32' 30.315" पू
17	ओदांथोडु	पूर्व	10° 28' 15.455" उ	76° 31' 48.481" पू
18	मनाला	उत्तर - पूर्व	10° 29' 22.961" उ	76° 30' 43.827" पू
19	माम्मालाम्कावा	उत्तर - पूर्व	10° 29' 26.764" उ	76° 30' 4.844" पू
20	अय्याप्पामुडि	उत्तर - पूर्व	10° 30' 39.975" उ	76° 30' 42.876" पू
21	पालाक्कुझी	उत्तर - पूर्व	10° 30' 40.926" उ	76° 29' 23.010" पू
22	पोनमुदी	उत्तर - पूर्व	10° 29' 4.331" उ	76° 28' 51.477" पू

## अनुलग्नक -IV

भू-निर्देशांको के साथ चिमोनी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम नाम	ग्राम के प्रकार	तालुका	जिला	जीपीएस निर्देशांक	
					अक्षांश	देशांतर
1	वनथारापिल्ली	राजस्व	चालाक्कुडी	त्रिस्सूर	उ 10°26'51.128"	पू 76°32'14.935"
2	किझाक्कांचेरी	राजस्व	अलाथुर	पालाक्कड	उ 10° 28'30.599"	पू 76°27'8.288"

## अनुलग्नक-V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुलग्नक में संलग्न करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे अनुलग्नक के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् अनुलग्नक के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा किए गए मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् अनुलग्नक के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2020

**S.O. 4269(E).**—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 2632 (E), dated 28<sup>th</sup> July, 2016, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is

hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at [esz-mef@nic.in](mailto:esz-mef@nic.in)

#### Draft Notification

**WHEREAS**, the Chimmony Wildlife Sanctuary is spread over an area of 85.067 square kilometers and situated in Chalakkudy Taluk (Former Mukundapuram Taluk) of Thrissur district in the state of Kerala;

**AND WHEREAS**, the forests of the Chimmony Wildlife Sanctuary embracing the Chimmony Reservoir attains greatest conservation value by providing irrigation water to thousands of hectares of agricultural land in Thrissur District and hence the prime reason for protecting and developing the Sanctuary for posterity. The Sanctuary area comprises mainly of forests in the Chimmony valley on the western slopes of the Nelliampathies; ensures ecological continuity of the Anamalai-Anamudi conservation unit covering an area of 4705 square kilometres;

**AND WHEREAS**, the major flora of the Chimmony Wildlife Sanctuary are *Andrographis macrobotrys*, *Hygrophila schulli*, *Phaulopsis imbricata*, *Alternanthera sessilis*, *Aganosma cymosa*, *Wrightia tinctoria*, *Schefflera venulosa* Harms, *Hemidesmus indicus*, *Conyza bonariensis*, *Spilanthes radicans*, *Impatiens pulcherrima*, *Ehretia indica*, *Polycarpha corymbosa*, *Mesua ferrea*, *Commelina maculata*, *Erycibe paniculata*, *Kalanchoe schweinfurthii* Penzig, *Cyperus haspan*, *Pycreus sulcinus* .B. Clarke, *Drosera burmannii*, *Acalypha brachystachya*, *Breynia vitis-idaea*, *Fischer*, *Euphorbia prostrata*, *Paracroton integrifolius*, *Acrocarpus fraxinifolius*, *Tamarindus indica*, *Crotalaria retusa*, *Erythrina stricta*, *Pycnospora lutescens*, *Acacia pennata* Willd., *Flacourtia indica*, *Reissantia grahamii*, *Hyptis suaveolens* Poit., *Litsea insignis*, *Leea macrophylla*, *Helicanthes elastica*, *Sida alnifolia*, *Memecylon lawsonii*, *Cipadessa baccifera*, *Tiliacora acuminata*, *Ficus callosa*, *Maesa indica*, *Chionanthus mala-elengi*, *Dendrobium heyneanum*, *Oberonia thwaitesii*, *Adenia hondala*, *Arundinella leptochloa*, *Cynodon dactylon*, *Heteropogon contortus* , *Panicum notatum*, *Sporobolus piliferus*, *Monochoria vaginalis*, *Catunaregam spinosa* Tirvengadam, *Knoxia sumatrensis*, *Ophiorrhiza rugosa*, *Spermacoce latifolia*, *Glycosmis macrocarpa*, *Dimocarpus longan*, *Xantolis tomentosa*, *Torenia bicolor*, *Pterospermum reticulatum*, *Grewia tiliifolia*, *Pellionia heyneana*, *Premna tomentosa*, *Cissus repens*, *Hedychium flavescens*, etc;

**AND WHEREAS**, the Chimmony Wildlife Sanctuary is part of the Anamudi Elephant Reserve in the State, with a total forest area of 3728 square kilometers with a density of 0.7404 elephants per square kilometers. The estimated number of elephants as per 2010 elephant census is 2086 (ranging from 1781 to 2443). More than 50% of the Sanctuary area is under high conservation value zones and the rest under medium conservation value zones with outstanding species diversity and endemic wealth. The area has exceptional medicinal plant diversity. Sanctuary is an abode of 53 species of mammals, 182 species of birds, 46 species of reptiles, 38 species of amphibians, 31 species of fishes and invertebrate species such as butterflies (24 species), odonates (56 species) etc;

**AND WHEREAS**, important mammals of the Chimmony Wildlife Sanctuary are Nilgiri langur (*Trachypithecus johnii*), lion-tailed macaque (*Macaca silenus*), jungle palm squirrel (*Funambulus tristriatus*), blanford's madromys (white tailed woodrat) (*Madromys blanfordi*), flat-haired mouse (*Mus platythrix*), sahyadris forest rat (*Rattus satarae*), spiny tree mouse (*Platacanthomys lasiurus*), black-naped hare (*Lepus nigricollis*), lesser dog-faced fruit bat (*Cynopterus brachyotis*), Indian flying fox (*Pteropus giganteus*), greater false vampire (*Megaderma lyra*), dusky leaf-nosed bat (*Hipposideros ater*), schneider's leaf-nosed bat (*Hipposideros speoris*), rufous horseshoe bat (*Rhinolophus rouxii*), chocolate pipistrelle (*Pipistrellus affinis*), Indian pipistrelle (*Pipistrellus coromandra*), asiatic greater yellow house bat (*Scotophilus heathii*), Indian pangolin (*Manis crassicaudata*), wild dog/dhole (*Cuon alpinus*), leopard (*Panthera pardus*), grey mongoose (*Herpestes edwardsi*), sloth bear (*Melursus ursinus*), small Indian civet (*Viverricula indica*), mouse deer (*Tragulus (Moschiola) meminna*), spotted deer (*Axis axis*), barking deer (*Muntiacus muntjac*), etc;

**AND WHEREAS**, the major avifauna of the Sanctuary are great cormorant (*Phalacrocorax carbo*), cattle egret (*Bubulcus ibis*), black bittern (*Dupetor flavicollis*), brahminy kite (*Haliastur indus*), crested goshawk (*Accipiter trivirgatus*), bonelli's eagle (*Hieraetus fasciatus*), red spurfowl (*Galloperdix spadicea*), red-wattled lapwing (*Vanellus indicus*), oriental turtle-dove (*Streptopelia orientalis*), yellow-legged green-pigeon (*Treron phoenicoptera*), rose-ringed parakeet (*Psittacula krameri*), large hawk-cuckoo (*Hierococcyx sparverioides*), Indian plaintive cuckoo (*Cacomantis passerinus*), brown hawk-owl (*Ninox scutulata*), brown-backed needletail-swift (*Hirundapus giganteus*), house swift (*Apus affinis*), stork-billed kingfisher (*Halcyon capensis*), small bee-eater (*Merops orientalis*), common hoopoe (*Upupa epops*), crimson-throated barbet (*Megalaima rubricapilla*), yellow-fronted pied woodpecker (*Dendrocopos mahrattensi*), dusky crag-martin (*Hirundo concolor*), ashy woodswallow (*Artamus fuscus*), grey wagtail (*Motacilla cinerea*), small minivet (*Pericrocotus cinnamomeus*), grey-headed bulbul (*Pycnonotus priocephalus*), yellow-browed bulbul (*Iole indica*), gold-fronted chloropsis (*Chloropsis aurifrons*), malabar whistling-thrush (*Myiophonus horsfieldii*), white-rumped shama (*Copsychus malabaricus*), black-headed

babbler (*Rhopocichla atriceps*), quaker tit-babbler (*Alcippe poioicephala*), greenish leaf-warbler (*Phylloscopus trochiloides*), rusty-tailed flycatcher (*Muscicapa ruficauda*), red-throated flycatcher (*Ficedula parva*), great tit (*Parus major*), tickell's flowerpecker (*Dicaeum erythrorhynchos*), purple sunbird (*Nectarinia asiatica*), grey-headed starling (*Sturnus malabaricus*), eurAsian golden oriole (*Oriolus oriolus*), ashy drongo (*Dicrurus leucophaeus*), ashy woodswallow (*Artamus fuscus*), etc;

**AND WHEREAS**, important reptiles of the Chimmony Wildlife Sanctuary are Indian black turtle (*Melanochelys trijuga* (Schweigger, 1812), travancore tortoise (*Indotestudo travancorica* (Boulenger, 1907), common green forest lizard (*Calotes calotes*), Indian garden lizard (*Calotes versicolor* (Daudin, 1802), south Indian rock agama (*Psammophilus dorsalis* (Gray, 1831), coastal day gecko (*Cnemaspis littoralis* (Jerdon, 1854), brook's house gecko (*Hemidactylus brookii* (Gray, 1845), termite hill gecko (*Hemidactylus triedrus* (Daudin, 1802), bronze grass skink (*Eutropis macularia* (Blyth, 1853), beddome's cat skink (*Ristella beddomii* (Boulenger, 1887), beaked worm snake (*Grypotyphlops acutus* (Dumeril & Bibron, 1844), kerala shieldtail (*Uropeltis cylanica* (Cuver, 1829), Indian rock python (*Python molurus* (Linnaeus, 1758), common sand boa (*Eryx conicus* (Schneider, 1801), Indian rat snake (*Ptyas mucosa* (Linnaeus, 1758), common kukri snake (*Oligodon arnensis* (Shaw, 1802), travancore wolf snake (*Lycodon travancoricus* (Beddome, 1870), Dumeril's black-headed snake (*Sibynophis subpunctatus* (Bibron & Duméril, 1854), collard cat snake (*Boiga nuchalis* (Gunther, 1875), checkered keelback (*Fowlea piscator* (Schneider, 1799), common Indian krait (*Bungarus caeruleus* (Schneider, 1801), king cobra (*Ophiophagus hannah* (Cantor, 1836), Russel's viper (*Daboia russelii* (Shaw & Nodder, 1797), Malabar pit viper (*Trimeresurus malabaricus*), etc;

**AND WHEREAS**, amphibian, fishes and butterflies found in the Chimmony Wildlife Sanctuary are ridged toad (*Duttaphrynus parietalis*), Indian pond frog (*Euphlyctis hexadactylus*), Indian bullfrog (*Hoplobatrachus tigerinus*), rufescent burrowing frog (*Minervarya rufescens*), nelliyampathi torrent frog (*Micrixalus nelliyampathi*), ornate narrow-mouthed frog (*Microhyla ornata*), anamalai dot frog (*Uperodon anamalaiensis*), purple frog (*Nasikabatrachus sahyadrensis*), anamallai night frog (*Nyctibatrachus anamallaiensis*), bicoloured frog (*Clinotarsus curtipes*), don's golden-backed frog (*Indosylvirana doni*), anamallais leaping frog (*Indirana brachytarsus*), yadera's leaping frog (*Indirana yadera*), charpa tree frog (*Polypedates occidentalis*), variable bush frog (*Raorchestes akroparallagi*), Jayaram's bush frog (*Raorchestes jayarami*), water drop frog (*Raorchestes nerostagona*), large ponmudi bush frog (*Raorchestes ponmudi*), menon's caecilian (*Uraeotyphlus menoni*), pavayparal/river carpbaril (*Bariliusgatensis* (Val.), kalpoolon/western ghat loach (*Bhavanaia australis* (Jerdon), triangular banded loach (*Nemacheilus triangularis* Day), malabarloach (*Lepidocephalus thermalis* (Val.), wayanadmystus (*Mystusmontanus* Jerdon), manathukanni/ malabarkillie (*Aplocheilus lineatus* (Val.), orange chromid (*Etroplus maculatus* (Bloch), Asiatic snakehead (*Channa orientalis*), Indian butter catfish (*Ompok bimaculatus* Bloch), stinging catfish (*Heteropneustes fossilis* Bloch), angled pierrot, common cerulian, slate flash, common bluebottle, crimson rose, blue mormon, mottled emigrant, tawny coster, tamil yeoman, chestnut streaked sailer, chocolate pansy, black raja, etc;

**AND WHEREAS**, the rare, threatened and endangered (RET) flora recorded from the Chimmony Wildlife Sanctuary are fleshy epithema (*Epithema carnosum*), malavirinji (*Actinodaphne malabarica*), karakil (*Aglaia barberi*), vellacheeralam (*Aglaia lawii*), moothassari (*Vepris bilocularis*), chooramullu (*Smilax wightii*), chemparavalli (*Ampelocissus indica*), perelam (*Amomum pterocarpum*), akil, adanta (*Cryptocarya anamalayana*), purippa, vellakil (*Dysoxylum beddomei*), etc. While rare, threatened and endangered (RET) fauna of the Sanctuary are elephant (*Elephas maximus*), lion-tailed macaque (*Macaca silenus*), wild dog (*Cuon alpinus*), tiger (*Panthera tigris*), maninjeel (*Aguilla bengalensis*), kalpoolon (*Bhavanaia australis*), Indian butter catfish (*Ompok bimaculatus*), etc;

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Chimmony Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

**NOW, THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 7.0 kilometres around the boundary of Chimmony Wildlife Sanctuary, in Thrissur District in the State of Kerala as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

**1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** - (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) to 7.0 kilometres around the boundary of Chimmony Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 92.53 square kilometres comprising 90.65 square kilometres of forest area and 1.88 square kilometres non-forest area. The extents of Eco-sensitive Zone at different direction of the Sanctuary are given below:

Directions	Extent
North	0 (zero)
North - East	4.6 kilometres

East	1 kilometre
South – East	4 kilometres
South	3 kilometres
South-West	4 kilometres
West	7 kilometres
North-West	3.5 kilometres

Justification for zero extent was made by state as “*The zero Eco-sensitive Zone at Northern boundary starting from Mangattukomban to Ponmudi is lying adjoining to Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary. This stretch is a very good semi evergreen patch without any disturbance; hence Eco-Sensitive Zone is zero. The zero Eco-sensitive Zone at Eastern boundary starting from Pundimudi to Kavala is lying adjoining with Parambikulam Tiger Reserve. This stretch is a very good semi- evergreen patch without any disturbance; hence Eco-Sensitive Zone is zero*”.

- (2) The boundary description of Chimmony Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
  - (3) The maps of the Chimmony Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA**, **Annexure-IIB** and **Annexure-IIC**.
  - (4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Chimmony Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of **Annexure-III**.
  - (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
  - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
    - (i) Environment;
    - (ii) Forest and Wildlife;
    - (iii) Agriculture;
    - (iv) Revenue;
    - (v) Urban Development;
    - (vi) Tourism;
    - (vii) Rural Development;
    - (viii) Irrigation and Flood Control;
    - (ix) Municipal;
    - (x) Panchayati Raj;
    - (xi) Kerala State Pollution Control Board; and
    - (xii) Public Works Department.
  - (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
  - (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
  - (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places,

horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

**3. Measures to be taken by the State Government.**- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.**- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or Eco-tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
  - (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
  - (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
  - (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.
  - (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-



- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8<sup>th</sup> April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
- (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.**- Bio-Medical Waste Management shall be as under:-
- (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016.
- (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.**- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.

- (12) **Construction and demolition waste management.-** The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.-** The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.-** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.-** Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:-
- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.
4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
<b>A. Prohibited Activities</b>		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco Sensitive Zone;  (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 <sup>th</sup> August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 <sup>st</sup> April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted:  Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	New wood based industry.	Prohibited.
<b>B. Regulated Activities</b>		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	<p>No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:</p> <p>Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.</p>
10.	Construction activities.	<p>(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents.</p> <p>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
11.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio-medical waste.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Open Well, Borewell, etc. for agriculture and other usages.	Regulated as per the applicable laws.
<b>C. Promoted Activities</b>		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

**5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector, Thrissur	Chairman, ex officio;
(ii)	Member of Legislative Assembly, Pudukkad	Member;
(iii)	District Panchayat President, Thrissur	Member;
(iv)	Representatives of Kerala State Pollution Control Board or Kerala State Electricity Board or Kerala Water Authority or Kerala State Irrigation Department or Kerala State Environment Department	Member;
(v)	Representative of Non-Governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Kerala	Member;
(vi)	One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Kerala to be nominated by the Government of Kerala	Member;
(vii)	Wildlife Warden, Peechi	Member-Secretary.

**6. Terms of reference.** – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/96/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

#### ANNEXURE- I

##### A. BOUNDARY DESCRIPTION OF CHIMMONY WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE

###### KERALA

- North:** The boundary lines starts from a station at about 1.2 kilometer north-east of Mangattukomban along the inter taluk boundary of Thrissur and Mukundapuram and runs along the above said boundary towards east and meets with the district boundary of Thrissur and Palakkad, at Ponmudi at a height point of 3045 ft.
- East:** Thence the boundary line runs along the inter district boundary of Thrissur and Palakkad and reaches at Pumalai at a height point of 3665' passing height 1930', 2839', 1702', 3045', 2685' and 2534' and thence the line runs towards south-west direction and meets with Mundavalichal at about ½ kilometer west of Kavalai incline passing height point of 1750'.
- South:** Thence the boundary line runs along the north of Muduvarachal towards southwest direction till the above chal meets with the Muplipuzha and thence along the northern bank of Muplipuzha till it reaches a station at about 1 kilometer upstream of Mupli where Valkattuthodu joins with Muplipuzha.
- West:** Thence the boundary runs along the southern bank of Valkattuthodu towards southeast direction for a distance of about 1.5 kilometer and thence to northeast direction and reaches at height point of 250' and then the boundary runs towards northeast direction for about 1 kilometer. and thence towards northwest direction till it reaches at Chimmonypuzha at about 2.50 kilometer. upstream of Chimmonypuzha from Anaipadam passing height points 1070', 1250' and 1327' and forming in a Parabolic shape. Thence the boundary runs along the southern bank of the Chimmonypuzha towards east for about 3 kilometer. till it reaches at Chimmony at a height point of 135' and thence the boundary runs towards northwest direction and reaches at the starting point of the northern boundary of the area.


##### B. BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND CHIMMONY WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE KERALA

- North:** The boundary lines starts from a station (N 10° 28' 9.9" and E 076° 23' 56.11") on the Mukundapuram Thrissur Taluk Boundary; towards east common boundary of Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary and meets Ponmudi, here the width of the Eco-sensitive zone is zero; then it runs toward north upto Palakuzhy rubber estate boundary then turns to the east up to the end boundary ending point of Palakuzhy rubber estate, then it run towards north upto the boundary of Odenthodu estate – southern boundary, then it runs along the Odenthodu estate boundary towards east and it runs along the south Ayyappanmudi 580 mtr point.
- North-East:** Thence the boundary line runs towards north-east vested forest boundaries of Alathur Range

- Puzhakkalidan Section then cross Vallappara through and runs along the vested forest boundary and it reaches Kombancherythodu,; then it runs along south-east to reach Kuncharvathy coffee estate GPS point No. 15 (N 10° 27' 55.489" and E 076° 33' 35.920") and with a maximum zonal width of 2.5 kilometer.
- East:** Thence it runs along the outer boundary (Eastern Boundary) of Kuncharvathy coffee estate GPS point No. 14 (N 10° 27' 34.0" and E 076° 33' 41.8") to reach Taluk boundary at Pullakkalthodu; thence toward west through the Taluk boundary (Pullakkalthodu) and reaches common boundary of Chimmony WLS and Parambikulam Tiger Reserve.
- South-East:** Then moves to southwest towards a point near Pundimudi, here the width of the zone is zero; then it runs GPS point No. 13(N 10° 24' 1.594" and E 076° 31' 33.268")along the buffer zone boundary of Parambikulam Reserve to reaches kavala,(N 10° 23' 2.20" E 076° 32' 1.10").
- South:** Thence it starts from kavala (N 10° 23' 2.20" and E 076° 32' 1.10") toward west through the tramway reaches to point of Mupplipuzha tributary and then moves west through the boundary of Teak plantation and reserve forest of Palappilly Range and to reaches a point atKundai.
- South-West:** Thence runs along teak plant and reserve forest boundary of Palappilly range near Chakkipparambu GPS point No. 9 (N 10° 23' 48.283" and E 076° 25' 33.869") then it run along the boundary of Kundai rubber estate and natural reserve forest of Palappilly range to meet with Chimmony Puzha at Karikkulam GPS point No. 7 (N 10° 25' 11.953" and E 076° 23' 54.037"), with a maximum width of 4.8 kilometer.
- West:** Thence the boundary runs through the Chimmony Puzha and reaches Old Chimmony Plappilly Range office, Anapadam and runs through the road reaches Palappilly junction GPS point No. 6 (N 10° 26' 4.246" and E 076° 23' 8.399") then towards north the east through the Palappilly Chimmony dam road reaches at Valiyakulamthodu then runs along north direction through the Valiyakulamthodu and it reaches point at nature reserve forest and Puthukkad rubber estate boundary then along the western direction through the boundary of nature reserve and rubber estate reaches Nadampadam estate bunglow GPS point No. 4 (N 10° 27' 6.047" and E 076° 22' 15.155")
- North-West:** Then towards northwest direction through the tributary of Pillathodu reaches the ridge point GPS point No. 3(N 10° 27' 49.784" and E 076° 22' 41.77") thence runs through taluk boundary of Chalakudy and Thrissur and reaches starting point.

ANNEXURE-IIA


LOCATION MAP OF CHIMMONY WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS IN THE STATE KERALA






ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CHIMMONY WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-II C

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CHIMMONY WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS IN SURVEY OF INDIA TOPOSHEET



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF CHIMMONY WILDLIFE SANCTUARY

Sl No	Identification of prominent points	Direction of prominent points	Latitude (N) DMS Format	Longitude (E) DMS Format
1	Ivathy	East	N10° 25' 56.786"	E76° 33' 33.299"
2	Pundimudi	South East	N10° 24' 15.358"	E76° 31' 57.353"
3	Poomala	South East	N10° 24' 26.323"	E76° 29' 12.188"
4	Eettakomban	South	N10° 25' 17.723"	E76° 27' 2.661"
5	Valiyakulam	South West	N10° 25' 51.304"	E76° 25' 4.784"
6	Chimmony	West	N10° 26' 38.591"	E76° 27' 48.578"

7	Pookoyil	North West	N10° 27' 27.935"	E76° 26' 3.037"
8	Odanthodu	North	N10° 28' 39.209"	E 76° 30' 5.644"
9	Vellimudi	North East	N10° 27' 33.418"	E 76° 31' 53.926"
10	Mangattukomban	North West	N10° 28' 2.202"	E 76° 25' 26.029"
11	Valiyavara	West	N10° 28' 24.132"	E7 6° 26' 14.688"
12	Valiyaponmudi	North West	N10° 28' 46.063"	E 76° 27' 36.242"
13	Cheriyaponmudi	North West	N10° 29' 3.881"	E 76° 28' 49.572"

**TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE**

Sl No	Identification of prominent points	Direction of prominent points	Latitude (N) DMS Format	Longitude (E) DMS Format
1	Mangattukompan	North	10° 28' 4.812" N	76° 25' 12.282" E
2	Anakkallu	North	10° 28' 16.406" N	76° 24' 10.200" E
3	Valloor	North - west	10° 27' 49.784" N	76° 22' 41.777" E
4	Nadampadam	North - west	10° 27' 6.047" N	76° 22' 15.155" E
5	Valiyakulam	North - west	10° 27' 11.752" N	76° 23' 56.889" E
6	Palappilly	North - west	10° 26' 4.246" N	76° 23' 8.399" E
7	Anapadam	North - west	10° 25' 11.953" N	76° 23' 54.037" E
8	Kundayi	West	10° 24' 25.364" N	76° 25' 49.082" E
9	Chakkiparabu	West	10° 23' 48.283" N	76° 25' 33.869" E
10	Karikadavu	South - West	10° 22' 43.630" N	76° 26' 45.179" E
11	Muplipuzha	South - West	10° 22' 35.073" N	76° 28' 58.289" E
12	Kavala	South	10° 23' 0.744" N	76° 32' 0.841" E
13	Pundimudi	South	10° 24' 1.594" N	76° 31' 33.268" E
14	Pullakkalthodu	South - East	10° 26' 9.951" N	76° 35' 4.343" E
15	Kunchiarvathy	South - East	10° 27' 55.489" N	76° 33' 35.920" E
16	Theekathanmala	South - East	10° 27' 9.851" N	76° 32' 30.315" E
17	Odanthodu	East	10° 28' 15.455" N	76° 31' 48.481" E
18	Manala	North -East	10° 29' 22.961" N	76° 30' 43.827" E
19	Mamgalamkava	North -East	10° 29' 26.764" N	76° 30' 4.844" E
20	Ayyappanmudi	North -East	10° 30' 39.975" N	76° 30' 42.876" E
21	Palakkuzhi	North -East	10° 30' 40.926" N	76° 29' 23.010" E
22	Ponmudi	North -East	10° 29' 4.331" N	76° 28' 51.477" E

**ANNEXURE-IV****LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF CHIMMONY WILDLIFE  
SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES**

Sl No	Village Name	Type of Village	Taluka	District	GPS Co-ordinates	
					Latitude	Longitude
1	Varantharapilly	Revenue	Chalakkudy	Thrissur	N 10°26'51.128"	E 76°32'14.935"
2	Kizhakkanchery	Revenue	Alathur	Palakkad	N 10° 28'30.599"	E 76°27'8.288"

**ANNEXURE-V****Performa of Action Taken Report:-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.